डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 82] रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 अप्रैल 2002—चैत्र 16, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 12 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2002

अनुक्रमणिका

खण्ड :

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 12 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2002

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) को और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2002 है.

धारा 2 का संशोधन. 2. (एक) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ख क) निजी सेवायान में सम्मिलित है भागीदारी फर्म, निगमित निकाय, कंपनी या फैक्ट्री के स्वामित्व के मोटरयान एवं लोक उद्देश्यों में उपयोग होने वाले वाहन सम्मिलित नहीं है."

(दो) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(घ) बेड़ा स्वामी के मामले में "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष और किसी अन्य प्रकरण के मामले में अभिप्रेत है बारह मासों की वह कालावधि जो उस मास के प्रथम दिन से प्रारंभ होती है जिसको कि मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण किया गया हो या उसे नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित किया गया हो और "तिमाही" से अभिप्रेत है उस मास के प्रथम दिन से, जिसको कि मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण किया गया या उसे नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समानुदेशित किया गया हो, प्रत्येक तीन मास."

धारा 13 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में,—

(एक) शब्द "एक-तिहाई" तथा शब्द "दुगने से अनधिक" के स्थान पर शब्द "एक-बारहवें" तथा शब्द "कर की बकाया तथा असंदत रकम के बराबर" क्रमश: स्थापित किए जाएं.

(दो) उपरोक्त धारा के परंतुक में शब्द "एक-दशमांश" तथा शब्द "प्रत्येक वर्ष या उसके भाग" के स्थान पर शब्द "एक-शतांश" तथा शब्द "प्रत्येक मास या उसके भाग" क्रमश: स्थापित किए जाएं.

(तीन) उपरोक्त परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि यदि 1-11-2000, को किसी अवधि की शास्ति का भुगतान बकाया होने पर और यदि त्रुटिकर्त्ता 1-11-2002 के पूर्व भुगतान करता है तो उसे शास्ति के बकाया राशि में 50 प्रतिशत की छूट, दी जायेगी"

4. मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, अर्थात् :— धारा 17 का संशोधन.

"17 अपराध, शास्तियां और सक्षम न्यायालय- (1) मोटरयान का स्वामी यदि,—

(क) धारा 8 के अधीन गलत या अपूर्ण घोषणा या अतिरिक्त घोषणा प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत किया जाना अनुज्ञात करता है या उक्त धारा द्वारा यथा अपेक्षित घोषणा या अतिरिक्त घोषणा प्रस्तुत करने में असफल रहता है; या

(ख) मोटरयान के परमिट की अभिव्यक्त शर्तों के अधीन गलत या अपूर्ण विवरणी प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत किया जाना अनुज्ञात करता है या परमिट द्वारा यथा अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है; या

(ग) धारा 14 की उपधारा (1) या उसके अधीन बनाये गये नियमों में उल्लिखित वाहन अनुपयोगी के उपबंधों का कपटपूर्वण या सत्याशय या अन्यथा उल्लंघन करता है; या

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उसके अनुसार पारित विधिपूर्ण आदेशों के उल्लंघन में जानबूझकर कार्य करता है;

ऐसे जुर्माने से जो 5000.00 रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा और किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिये ऐसे जुर्माने से जो 5000.00 रुपये से कम नहीं होगा और 10000.00 रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा.

(2) धारा 3 के अधीन कोई कर और धारा 13 के अधीन शास्ति जुर्माने के तौर पर वसूली योग्य होगी.

(3) इस अधिनियम के अधीन कोई भी अपराध की जांच तथा विचारण मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा किया जायेगा.

5. मूल अधिनियम की धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाये, अर्थात् :— धारा 17 (क) का अन्त:स्थापन.

"17 (क) अपराधों का प्रशमन :—(1) कराधान प्राधिकारी द्वारा धारा 17 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये या तो प्रक्रिया संस्थित करने के पूर्व या पश्चात् ऐसे अपराध का ऐसी दर पर जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, संयोजन द्वारा शमन कर सकेगा.

(2) कराधान प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन यथा अवधारित राशि का व्यतिक्रमी द्वारा संदाय करने पर उसके विरुद्ध कोई आगे कार्यवाही नहीं की जायेगी और यदि ऐसे अविधिपूर्ण कार्य के संबंध में कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में पूर्व संस्थित की गई है तो उसे ऐसे संदाय से माफी दी जायेगी या उन्मुक्त हो जायेगा.

6. मूल अधिनियम के प्रथम अनुसूची में :— प्रथम अनुसूची में संशोधन.

(1) मद चार के उपमद (क), (ख) एवं (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद स्थापित किये जाये, अर्थात् :—

"(क) तीन से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान- (मोटरसाईकिल/आटोरिक्शा/तिपहिया/चारपहिया) रु. 50.00 प्रति सीट प्रति तिमाही

(ख) तीन से अधिक किन्तु छ: से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिये अनुज्ञात यान-(तिपहिया/चारपहिया).

(एक)	अखिल भारतीय पर्यटक परिमट से आच्छादित	रु. 200.00 प्रति तिमाही.
(दो)	ऊपर (एक) में विनिर्दिष्ट वाहनों से भिन्न परमिट से आच्छादित	रु. 150.00 प्रति सीट तिमाही.

(ग) छ: यात्रियों से अधिक यात्रियों को ले जाने तथा शहर मार्गों पर/पार्श्वस्थ क्षेत्रों पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, मंजिली गाड़ी (स्टेज कैरिज)/ठेका गाड़ी (कांट्रेक्ट कैरिज) के रूप में चलाये जाने के लिये अनुज्ञात यान—

(एक)	एक्सप्रेस सेवा के रूप में चलाने के लिये अनुज्ञात यान की बाबत, ऐसे प्रत्येक यात्री के लिये, जिसे ले जाने के लिये यान अनुज्ञात किया गया है.	रु. 125.00 प्रति सीट प्रति तिमाही.
(दो)	साधारण सेवा के रूप में चलाने के लिये अनुज्ञात यान, की बाबत, ऐसे प्रत्येक यात्री के लिये, जिसे ले जाने के लिये यान अनुज्ञात किया गया है.	रु. 100.00 प्रति सीट प्रति तिमाही.

(2) मद चार, के उपमद (च) के खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) ऐसे यान, जो छ: से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिये अनुज्ञात हैं, और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन अन्य राज्यों द्वारा जारी किये गये अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के अंतर्गत ठेका गाड़ी के रूप में चलाये जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिये जिसे ले जाने के लिये वह यान अनुज्ञात है—

(क)	नियमित आधार पर संचालित पर्यटक यान के संबंध में	रु. 900.00 प्रति सीट प्रतिमाह.
(ख)	आकस्मिक आधार पर संचालित पर्यटक यान के संबंध में, जो नियमित आधार से भिन्न हो तथा एक माह में छ: दिन से अनाधिक राज्य में संचालित हो.	रु. 120.00 प्रति सीट प्रति तीन दिवस".

(3) मद चार, के उपमद (च) के खण्ड (7) के उपखण्ड (एक) और (दो) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किये जाएं अर्थात् :—

"(एक)	साधारण बस के लिए	रु. 14.00 प्रति सीट प्रतिदिन.

(दो) वातानुकूलित/डीलक्स बस — रु. 20.00 प्रति सीट प्रतिदिन.

(4) मद पांच, के उपमद (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"क" जिसका सकल यानभार—

(एक) 2,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं — रु. 300.00 प्रति तिमाही.

(दो) और तत्पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 500 किग्रा. या उसके भाग के लिये — रु. 75.00 प्रति तिमाही.

(5) मद आठ के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"आठ क-कटाई यंत्र, क्रेन तथा रिंग मशीन जिसका लदान रहित भार :—

(एक) 1,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं — रु. 200.00 प्रति तिमाही.

(दो) और तत्पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिए — रु. 300.00 प्रति तिमाही."

(6) मद नौ के स्थान पर निम्नलिखित मद स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"नौ-इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट यानों के वर्ग में से किसी वर्ग के अंतर्गत न आने वाले ऐसे समस्त अन्य मोटरयान :—

जिसका लदान रहित भार—

(एक)	1,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 175.00 प्रति तिमाही
(दो)	1,000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 2,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 225.00 प्रति तिमाही
(तीन)	2,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 3,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 325.00 प्रति तिमाही
(चार)	3,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 4,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 425.00 प्रति तिमाही
(पांच)	4,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 5,000 कि. ग्रा. से से अधिक नहीं है.	रु. 575.00 प्रति तिमाही
(छः)	5,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 6,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 750.00 प्रति तिमाही
(सात)	6,000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 7,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 975.00 प्रति तिमाही
(आठ)	और तत्पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 कि. ग्रा. या उसके भाग के लिए	रु. 300.00 प्रति तिमाही

(नौ) प्रत्येक अनुयान (ट्रेलर) के लिये कर रु. 100.00 प्रति तिमाही

टिप्पणी :—(1) इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कर की दरें, संबंधित वर्ग के मोटरयानों को तभी लागू होंगी जब उनमें हवादार (न्यूमेटिक) टायर लगे हुये हों.

(2) गैर हवादार (नान न्यूमेटिक) टायर लगे हुये किसी मोटरयान की बाबत कर की दरें उसी वर्ग के हवादार (न्यूमेटिक) टायर लगे हुये यान के लिये विनिर्दिष्ट की गई दरों की डेढ़ गुना होगी.''

द्वितीय अनुसूची में संशोधन.

7. द्वितीय अनुसूची में :—

(1) मद 5 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत: स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''6 सकल यानभार 3,500 कि. ग्रा. से अनधिक मालयान—

जिसकी की कीमत . -

क. रु. 2.5 लाख से अधिक नहीं यान की कीमत का 12 प्रतिशत

ख. रु. 2.5 लाख से अधिक यान की कीमत का 10 प्रतिशत''

(2) स्पष्टीकरण (3) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएं, अर्थात् :—

''4 मोटर साईकिल, मोटरकार, आटोरिक्शा (तिपहिया, लोकसेवा यान) निजी उपयोग के लिये रजिस्ट्रीकृत ओमनी बस जिसकी बैठक क्षमता 6 से अधिक तथा 12 तक है (चालक को छोड़कर) एवं सकल यानभार 3,500 कि. ग्रा. से अनधिक मालयान के संबंध में जो प्रथम पंजीयन दिनांक से एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है, जीवनकाल कर की गणना इस अनुसूची के भाग दो में विनिर्दिष्ट कीमत के आधार पर की जायेगी.''

(3) द्वितीय अनुसूची की प्रविष्टियां जैसी संशोधित की गई है, भाग-एक के रूप में पुन: क्रमांकित की जायेगी, तत्पश्चात् ऐसे पुन: क्रमांकित भाग-एक पश्चात् निम्नलिखित भाग अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

भाग-दो

प्रथम रजिस्ट्रीकरण दिनांक से आयु की गणना के आधार पर पुराने मोटरयानों की निश्चित की गई कीमत रुपयों में

स.क्र.	मोटरयान का वर्ग	आयु 5 वर्ष से अधिक नहीं	आयु 5 वर्ष से अधिक किन्तु 15 वर्ष से अनधिक	15 वर्ष से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मोटर साईकिल :—			
	1. जिनका लदान रहित भार—			
	(क) 70 कि. ग्रा. से अधिक नहीं	यान का वर्तमान मूल्य	8,000	6,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(ख) 70 कि. ग्रा. से अधिक			
	(एक) 200 सी. सी. तक	यान का वर्तमान मूल्य	15,000	8,000
	(दो) 200 सी. सी. से अधिक किन्तु 325 सी.सी. अधिक नहीं	यान का वर्तमान मूल्य	20,000	10,000
	(तीन) 325 सी. सी. से अधिक.	यान का वर्तमान मूल्य	30,000	15,000
2.	मोटर कार :—			
	1. जिनका लदान रहित भार :—			
	(क) 800 कि. ग्रा. से अधिक नहीं	यान का वर्तमान मूल्य	1,00,000	50,000
	(ख) 800 कि. ग्रा. से अधिक किन्तु 2000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं.	यान का वर्तमान मूल्य	1,50,000	1,00,000
	(ग) 2,000 कि.ग्रा. से अधिक	यान का वर्तमान मूल्य	6,00,000	3,00,000
3.	आटो रिक्शा (लोक सेवायान) :—			
	(क) 3 सीट से अधिक नहीं चालक को छोड़कर.	यान का वर्तमान मूल्य	30,000	15,000
	(ख) 3 सीट से अधिक चालक को छोड़कर	यान का वर्तमान मूल्य	60,000	20,000
4.	निजी उपयोग के लिये पंजीकृत ओमनी बस जिसकी बैठक क्षमता 6 से अधिक परंतु 12 से अनधिक (चालक को छोड़कर).			
	(क) प्रथम पंजीयन के समय यान की कीमत			
	(एक) रु. 2.5 लाख से अधिक नहीं.	यान का वर्तमान मूल्य	1,25,000	60,000
	(दो) रु. 2.5 लाख से अधिक परंतु 4.00 लाख से अनधिक.	यान का वर्तमान मूल्य	1,62,500	80,000
	(तीन) रु. 4.00 लाख से अधिक परंतु 5.5 लाख से अनधिक.	यान का वर्तमान मूल्य	2,37,500	1,10,000
	(चार) रु. 5.5 लाख से अधिक परंतु 8.00 लाख से अनधिक.	यान का वर्तमान मूल्य	3,12,500	1,50,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(पांच) रु. 8.0 लाख से अधिक.	यान का वर्तमान मूल्य	4,50,000	2,25,000
5.	मालयान जिसकी सकल भार क्षमता 3,500 कि. ग्रा. से अधिक नहीं			
	(क) प्रथम पंजीयन के समय यान की कीमत			
	(एक) रु. 1.0 लाख से अधिक नहीं.	यान का वर्तमान मूल्य	50,000	25,000
	(दो) रु. 1.0 लाख से अधिक परंतु 2.0 लाख से अनधिक.	यान का वर्तमान मूल्य	75,000	35,000
	(तीन) रु. 2.0 लाख से अधिक परंतु 3.0 लाख से अनधिक.	यान का वर्तमान मूल्य	1,25,000	60,000
	(चार) रु. 3.0 लाख से अधिक परंतु 4.0 लाख से अनधिक.	यान का वर्तमान मूल्य	1,75,000	75,000
	(पांच) रु. 4.00 लाख से अधिक	यान का वर्तमान मूल्य	2,50,000	1,25,000

टिप्पणी :—(1) जहां ऊपर भाग-दो के कालम (4) एवं (5) में निर्दिष्ट कीमत मोटरयान के चालू कीमत से अधिक है तो कराधान प्राधिकारी इस भाग के उद्देश्यों के लिए ऐसे मोटरयान की कर की गणना के लिये चालू कीमत लेगा.

(2) जहां विशिष्ट मेक एवं माडल के वाहन का निर्माण बंद कर दिया गया हो, एवं वर्तमान मूल्य ज्ञात करना संभव नहीं हो तो, ऐसे मेक एवं माडल के वाहन के निर्माण के विच्छेदन पर उपलब्ध अंतिम कीमत के आधार पर कालम तीन के उद्देश्यों के लिये वर्तमान कीमत ली जावेगी एवं स्वामी कराधान प्राधिकारी की संतुष्टि का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा.

(3) जहां वाहन स्वामी उपरोक्त टिप्पणी (2) के अनुसार संतोषप्रद साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है, वाहन का वर्तमान मूल्य उपरोक्त भाग-दो के कालम चार में दर्शाई गयी कीमत से 25 प्रतिशत अधिक की दर से गणना की जायेगी."

तृतीय अनुसूची में संशोधन.

8. मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची, के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची, स्थापित की जाए :—

तृतीय अनुसूची
(धारा 4 देखिये)

अ.क्र. (1)	यानो का वर्णन (2)	किसी विनिर्माता या व्यापारी के कब्जे में प्रथम सात या कम यानों के लिये वार्षिक कर (3)	किसी विनिर्माता या व्यापारी के कब्जे में के अतिरिक्त सात या कम यानों के लिये वार्षिक कर (4)
1.	मोपेड एवं मशीनयुक्त साईकिल (इंजन क्षमता 50 सी.सी. से अनधिक)	रु. 1,000.00	रु. 1,000.00
2.	मोपेड एवं मशीनयुक्त साईकिल से भिन्न मोटर साईकिल.	रु. 1,250.00	रु. 1,250.00
3.	तिपहिया वाहनों के लिये	रु. 1,250.00	रु. 1,250.00
4.	हल्का मोटरयान जिसमें चेसिस भी सम्मिलित है.	रु. 1,500.00	रु. 1,500.00

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	मध्यम मोटरयान जिसमें चेसिस भी सम्मिलित है	रु. 1,750.00	रु. 1,750.00
6.	भारी मोटरयान जिसमें चेसिस भी सम्मिलित है	रु. 2,000.00	रु. 2,000.00
7.	अन्य मोटरयान	रु. 1,250.00	रु. 1,250.00

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

अतिरिक्त राजस्व उगाही के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये प्रस्तावित बजट प्रस्तावों को दृष्टि में रखते हुये शास्ति एवं जुर्माने की दरों का युक्ति-युक्तकरण करने मालयानों की कर की विद्यमान दरों का विवेकीकरण करने एवं 3500 कि. ग्रा. सकल यानभार से कम की मालयानों पर जीवन काल कर उद्ग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में संशोधन करना आवश्यक है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 19 मार्च, 2000.

नंदकुमार पटेल
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 धारा, 2, 13, 17 प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची तथा तृतीय अनुसूची के सुसंगत उद्धरण

2. परिभाषाएं

2.(ख) ''स्वामी'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसके नाम कोई मोटरयान, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और उसके अंतर्गत है—

(एक) कोई व्यक्ति, जो किसी मोटरयान का तत्समय कब्जा या नियंत्रण रखता है,
(दो) कोई व्यक्ति, जो ऐसे स्वामी के कारबार के प्रबंध के लिए उत्तरदायी है, और
(तीन) अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले परिवहन यान की दशा में, अनुज्ञापत्र का धारक या कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति, जिसने या जिन्होंने मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) के अधीन यान के कब्जे का और अनुज्ञापत्र के लिए उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त कर लिया है.

(घ) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष, ''छहमाही'' से अभिप्रेत है वर्ष के प्रथम छह मास या द्वितीय छह मास और ''तिमाही'' से अभिप्रेत है छहमाही के प्रथम तीन या द्वितीय छहमाही के प्रथम तीन मास या द्वितीय तीन मास,

'(13). कर का संदाय करने में असफल रहने के लिए शास्ति-(1) यदि किसी मोटरयान के संबंध में शोध्य कर का, धारा 5 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार संदाय नहीं किया गया है तो (1) स्वामी, शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त, प्रत्येक मास या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिए '(कर की असंदत्त रकम) के एक तिहाई की दर से, किन्तु (कर की

असंदत्त रकम) के दुगुने से अनाधिक, ऐसी शास्ति के लिये, दायी होगा जो कराधान प्राधिकारी द्वारा लिखित आदेश द्वारा और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अधिरोपित की जायेगी :

परन्तु यदि इस अधिनियम के अधीन जीवनकाल कर का संदाय नहीं किया गया है तो स्वामी, शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिये जीवनकाल-कर के एक दशगांश की दर से किन्तु धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन देय जीवनकाल-कर से अनधिक शास्ति के लिए दायी होगा.

17. अपराध के दण्ड के लिये साधारण उपबन्ध-जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा, प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

प्रथम अनुसूची

[धारा 3 की उपधारा (1)]

चार-लोक सेवा यान-

किराये या पारिश्रमिक (रिवार्ड) के लिए चलाये जा रहे तथा यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग में लाए जा रहे मोटरयान— प्रति सीट

'(क) तीन से अनाधिक यात्रियों को ले जाने के लिये अनुज्ञात यान (मोटर साईकिल/आटो रिक्शा) — रु. 40.00 प्रति सीट, प्रति तिमाही.

(ख) तीन से अधिक किन्तु छह से अनाधिक यात्रियों को ले जाने के लिये अनुज्ञात यान, — रु. 50.00 प्रति सीट, प्रति तिमाही.

(ग) छह यात्रियों से अधिक यात्रियों को ले जाने तथा शहर मार्गों पर/उससे लगे हुए क्षेत्रों पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, मंजिली गाड़ी (स्टेज कैरेज) ठेका गाड़ी (कान्ट्रेक्ट कैरेज) के रूप में चलाये जाने के लिए अनुज्ञात यान—

(एक) एक्सप्रेस सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात यान की बाबत ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए, जिसे ले जाने के लिए यान अनुज्ञात किया गया है. — रु. 80.00 प्रति सीट प्रति तिमाही.

(दो) साधारण सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात यान की बाबत ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए, जिसे ले जाने के लिए यान अनुज्ञात किया गया है. — रु. 60.00 प्रति सीट प्रति तिमाही.

(च) ठेका गाड़ी (कान्ट्रेक्ट कैरेज)

रु. 40.00 प्रतिसीट प्रतिदिन उस संपूर्ण कालावधि के लिए जब तक वाहन मध्यप्रदेश में रहे.

'(3) ऐसे यान, जो 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिये अनुज्ञात हैं और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन अन्य राज्यों द्वारा जारी किये गये आल इंडिया टूरिस्ट परमिट के अंतर्गत ठेका गाड़ी के रूप में चलाये जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रति सीट के लिये जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है—

(एक) 3 दिन के लिये — रु. 100.00 प्रतिसीट

(दो) 3 दिन से अधिक तथा 15 दिन तक के लिए — रु. 300.00 प्रतिसीट

(तीन) 15 दिन से अधिक तथा 31 दिन तक के लिए — रु. 500.00 प्रतिसीट

'(7) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिये अनुज्ञात हैं और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 की उपधारा (1) के अधीन खण्ड (क) के अधीन राज्य द्वारा मंजूर किये गये अस्थाई अनुज्ञापत्र पर ठेकागाड़ी के रूप में चलाये जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिये जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है—

(एक)	साधारण बस के लिये	उपमद (ड) के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त रु. 7.00 प्रति सीट प्रतिदिन.
(दो)	वातानुकूलित/डीलक्स बस के लिए	उपमद (ड) के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त रु. 10.00 प्रति सीट प्रतिदिन.

(पांच-माल-यान-

(1)	(2)	(3)
(क)	जिसका रजिस्ट्रीकृत लदान वजन	रुपये प्रति तिमाही
(एक)	2000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 327.00
(दो)	2000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 3000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 520.00
(तीन)	3000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 4000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 629.00
(चार)	4000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 5000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 932.00
(पांच)	5000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 6000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 1113.00
(छह)	6000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 7000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 1258.00
(सात)	7000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 8000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 1428.00
(आठ)	8000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 9000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 1646.00
(नौ)	9000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 10000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 1815.00
(दस)	10000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 11000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 2033.00
(ग्यारह)	11000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 12000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 2213.00
(बारह)	12000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 13000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 2384.00
(तेरह)	13000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 14000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 2565.00
(चौदह)	14000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 15000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 2747.00

(पन्द्रह)	15000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 16000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 2916.00
(सोलह)	16000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 17000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 3025.00
(सत्रह)	और तत्पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 1000 कि. ग्रा. या उसके भाग के लिये	रु. 182.00

(आठ) शैक्षणिक संस्था बस :—

चालक को छोड़कर छह व्यक्तियों से अधिक बैठने भी क्षमता वाली शैक्षणिक संस्था बस जो साधारणतया किसी महाविद्यालय, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्था द्वारा या उसकी ओर से उपयोग में लाई जाती है और जिसका उपयोग संस्था के क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप के संबंध में विद्यार्थियों या शैक्षणिक संस्था के कर्मचारीवृन्द के परिवहन के लिए ही किया जाता है. — 300.00 प्रतिसीट

(नौ) इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट यानों के पूर्व में से किसी भी वर्ग के अंतर्गत न आने से ऐसे समस्त अन्य मोटरयान, जिनका लदान रहित वजन—

(एक)	1000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 152.00
(दो)	1000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 2000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 200.00
(तीन)	2000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 3000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 290.00
(चार)	3000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 4000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 382.00
(पांच)	4000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 5000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 527.00
(छह)	5000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 6000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 690.00
(सात)	6000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 7000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 871.00
(आठ)	और तत्पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 1000 कि. ग्रा. या अधिक नहीं है	रु. 254.00
(नौ)	प्रत्येक अनुयान (ट्रेलर) के लिए कर	रु. 73.00

टिप्पणी :—(1) इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कर की दरें, संबंधित वर्ग के मोटरयानों को तभी लागू होंगी जब उनमें हवादार (न्यूमेटिक) टायर लगे हुये हों.

(2) गैर हवादार (नान न्यूमेटिक) टायर लगे हुये किसी मोटरयान की बाबत कर की दरें, उसी वर्ग के हवादार (न्यूमेटिक) टायर लगे हुये यान के लिये विनिर्दिष्ट की गई दरों की डेढ़ गुना होगी.

"द्वितीय अनुसूची
[धारा 3 की उपधारा (1) का प्रथम परन्तुक]

	मोटरयानों का वर्णन (1)	जीवनकाल कर की दर (2)
1.	किसी भी प्रकार की लदान रहित वजन की संलग्नकों (अटैचमेंट) सहित या रहित मोटर साईकिलें	यान की कीमत का 4 प्रतिशत
2.	किसी भी प्रकार की लदान रहित मोटर कारें—	
	(क) जिनकी कीमत 5 लाख से अधिक नहीं है.	यान की कीमत का 5 प्रतिशत
	(ख) जिनकी कीमत 5 लाख से अधिक है	यान की कीमत का 6 प्रतिशत
3.	अशक्त यात्री गाड़ी	रुपये 360/-
4.	आटो-रिक्शा तिपहिया (लोक सेवा यान) जो किराया तथा पारितोषिक पर चलाई जा रही है और 6 से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है.	
	(क) अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी विभिन्न स्कीमों तथा शर्तों के, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिश्चित की जाए, अधीन ऋण लेने के पश्चात् क्रय किये गये तथा उसके स्वामित्व में, के यान.	यान की कीमत का 2 प्रतिशत
	(ख) उपरोक्त उल्लेखित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा क्रय किये गये तथा उनके स्वामित्व में, के यान	यान की कीमत का 5 प्रतिशत
5.	निजी उपयोग के लिए ओमनी बस जिसके बैठने की क्षमता यात्रियों से अधिक तथा 12 यात्रियों तक हो.	यान की कीमत का 6 प्रतिशत

स्पष्टीकरण :—

1. यान की कीमत से अभिप्रेत है व्यापारी द्वारा करों सहित वसूल की गई कीमत.
2. उपरोक्त यान के वर्ग के आधार पर जीवन कालिक कर की गणना करने के लिए यान स्वामी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह व्यापारी द्वारा दी गई विक्रय रसीद यान के रजिस्ट्रीकरण के समय प्रस्तुत करें.
3. आटो रिक्शा तिपहिया में लोकप्रिय रूप से मान्य टेम्पो, विक्रम आदि सम्मिलित है."

तृतीय अनुसूची
(धारा 4 देखिये)

यानों का वर्णन (1)	किसी विनिर्माता या व्यापारी कब्जे में के प्रथम सात या कम यानों के लिये वार्षिक कर (2)	किसी विनिर्माता या व्यापारी के कब्जे में प्रथम सात या कम यानों के लिए वार्षिक कर (3)
	रुपये पैसे	रुपये पैसे
(1) मोटर साइकिलें	400.00	400.00
(2) भारी मोटर यानों की चेसिस	600.00	600.00
(3) अन्य यान	500.00	500.00

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.